

लखीमपुर खीरी जनपद की विलुप्त होती हस्तकलायें एवं सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में उनका महत्व

डा० नूतन सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास)

युवराज दत्त महाविद्यालय लखीमपुर खीरी

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में हमने इस जनपद के एक विशेष समुदाय की विलुप्त होती हस्तकलाओं को अपने शोध का विषय बनाया है। वह है-थारू जनजाति के हस्तशिल्प, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओपी परियोजना के तहत संवर्धित एवं संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। थारूओं द्वारा हस्त निर्मित अधिकतर वस्तुएं स्वयं के उपयोग हेतु बनाये जाते हैं। इन कलाओं जुड़े ये हस्तशिल्पी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं हैं। ये सभी अपने जीवन यापन हेतु हस्तकलाओं के अतिरिक्त कोई न कोई कार्य अवश्य करते हैं। यद्यपि जनजातीय समूह के उन्नयन हेतु कुछ सरकारी प्रयास जारी हैं तथापि सरकारी सहायता के परिणाम अभी धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। अध्ययन के बाद यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आवश्यकता है जनजातीय संस्कृति को हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जाय। उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं समुचित टूलकिट उपलब्ध कराये जाय। उनकी ब्रांडिंग एवं ई मार्केट उपलब्ध कराने पर बल दिया जाय। इसके बिना थारू हस्तशिल्प के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण की राह कठिन है।

मुख्य शब्द—हस्तकलाएँ, थारू, डलिया, गुल्लक, पिटरिया, चटाई, हाथ के पंखे, महिलाओं के लहंगा, ओडीओपी

प्रस्तावना— भारतीय हस्तशिल्प परिदृश्य पर बहुत कुछ लिखा गया है और आज भी लिखा जा रहा है। समाज में शिल्पों का विकास वस्तुतः मानवीय संवेदना के सृजन की निशानी है। मानव मन के उद्वेलन और परिपक्वता का सूचक है। मनुष्य नीरस जीवन को समुन्नत व रोचक बनाने के प्रयास में कुछ शिल्पों की रचना भी करता है। परिधान, आभूषण या पात्र आदि के रूप में विशेष अवसरों पर विशेष वस्तुओं के उपयोग का अर्थ होता है, सृजनशीलता का निरन्तर प्रवाह, सतत जीवन्तता की भावना जो जीवन के बासीपन को दूर कर सके। स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का कहना है कि—“कुटीर उद्योगों का निरंतर बना रहना इस सीमा तक सराहनीय है कि इससे सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। गांवों के लोगों को अपार रोजगार देने के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में भी कुटीर उद्योगों की भूमिका है।” हस्तशिल्प को जनसाधारण का शिल्प कहना अतिशयोक्ति नहीं है। हस्तशिल्प उत्पाद एक ऐसी सर्जना भी है, जिसमें समुदाय के अंतर्मन की इच्छा की पूर्ती और संतुष्टि होती है।

रचनात्मकता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति और क्षमता के बल पर मनुष्य ने अनेक कलाओं को जन्म दिया। इनमें से प्रत्येक कला की अपनी पृथक मौलिक विशेषताएं हालांकि परम्परागत ग्रामीण हस्तकलाएं भी व्यावसायिक रूप ग्रहण कर रही हैं, लेकिन उनका व्यावसायिक स्वरूप आस-पास के ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित है। हमारे आसपास ऐसे शिल्प हैं जिन्हें स्त्री या पुरुष शिल्पकार निजी उपयोग के लिए बनाते हैं और अतिरिक्त होने पर बाजारों में बेच देते हैं। लखीमपुर जनपद स्थित थारू क्षेत्र के गाँवों बेला परसुआ, चंदन चौकी, सौनाहा इत्यादि गाँवों में विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं के दर्शन होते हैं, जिन्हें निर्मित करने में गाँव के स्त्री, पुरुष तथा बच्चे अत्यन्त निपुण हैं। थारू शिल्प में प्रमुख हैं- डलिया (डैलवा), गुल्लक(भौवकी), पिटरिया, टोकरी (टुकनी) चटाई, हाथ के पंखे, महिलाओं के लहंगा इत्यादि। ODOP के अंतर्गत सरकारी स्तर पर थारू उत्पाद का चयन होने एवं प्रशिक्षण के उपरांत थारू महिलाएं पर्स व दरी भी बनाने लगी हैं।

लखीमपुर-खीरी, उत्तर प्रदेश के जनपदों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण होने का कारण जनपद की भौगोलिक स्थिति व इसका भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान है। यह जनपद उत्तर में नेपाल से सटे होने के कारण राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। दोनों ही देशों के स्थानीय राजनीतिज्ञ, विद्यार्थी, व्यापारी सामाजिक और असामाजिक तत्व, सभी भारत-नेपाल संबंधों को प्रभावित करते हैं। अतीत में इस जनपद में 'खैर' का अत्यधिक जंगल विद्यमान था और अब भी बहुत कुछ है, इसी से यह जनपद 'खीरी' के नाम से लोकप्रिय हुआ। 'मोहान नदी' 1899 ई० में नेपाल ब्रिटिश भारत की सीमा स्वीकार की गयी थी। 7680 वर्ग किमी० क्षेत्र में विस्तृत इस जनपद की भारत नेपाल संबंधों में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 27.6 to 28.6 (North) अक्षांश एवं 80.34 to 81.30 (East) देशांतर पर स्थित है। जनपद की सीमायें उत्तर में नेपाल, पश्चिम में, शाहजहांपुर जनपद, दक्षिण में हरदोई व सीतापुर जनपद तथा पूर्व में बहराइच जनपदों को स्पर्श करती हैं। इसी के अंतर्गत आता है पलिया तहसील में स्थित थारू ग्राम बेला परसुआ, चन्दन चौकी, सौनाहा ग्राम है। थारू हस्तशिल्प उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया, उपयोग एवं व्यावसायिक उपयोग की जानकारी हेतु हम बेला परसुआ, चंदनचौकी, सौनाहा के निवासियों से मिले। कुछ पत्रिकाओं, ऑनलाइन शोध-पत्रों एवं पुस्तकों की सहायता से शोध का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त युवराज दत्त महाविद्यालय में पढ़ने वाले थारू छात्र छात्राओं ने भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई। इस प्रकार हमारा शोध-पत्र प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है।

थारू जाति का आवास क्षेत्र तराई प्रदेश के पश्चिमी भाग में जिला नैनीताल व उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व से लेकर पूर्व में गोरखपुर व नेपाल सीमा तक है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत एवं शिवालिक क्षेत्र में नैनीताल गोंडा, खीरी, गोरखपुर, पीलीभीत, बहराइच एवं बस्ती जिलों में विस्तृत है। थारू जाति का सबसे अधिक जमाव नैनीताल जिले के बिलहारी परगना, खातीमाता तहसील की नानकमत्ता विल्पुरी एवं टनकपुर बस्तियों के आसपास पाया जाता है। थारू जनजाति का विस्तार बिहार के चंपारण,

उत्तराखण्डके नैनीताल, उधमसिंह नगर जनपद, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी में निवास करते हैं |लखीमपुर खीरी जनपद के दुधवा राष्ट्रीय पार्क के 15 किलोमीटर के बाद थारुओं के गाँव आ जाते हैं जो बहुतायत में हैं | थारु जनजाति को सन 1967 में भारत सरकार द्वारा जनजाति का दर्जा दिया गया था | थारु जनजाति के अंतर्गत 7 उपसमूह आते हैं | राणा, थारु, बुक्सा, गडौरा, गिरनामा, जुगिया, दुगौरा, सुषा एवं पसिया | यहाँ के थारु स्वयं को थारु भूमि का निवासी मानते हैं | थारु जनजाति के लोगों ने उधमसिंह नगर में अपने राजाओं के नाम पर 12 गाँवों को बसाया था | आजादी से पूर्व 1950-1955 तक समाज में थारु शब्द के स्थान पर 'थरुआ' एवं 'थारुनिया' शब्द का प्रयोग किया जाता था |

ग्रामीण एवं जंगल के निकट निवास करने वाले थारु समुदाय की पृष्ठभूमि निःसंदेह एक वंचित समुदाय है | आर्थिक रूप से कमजोर एवं जीवनयापन हेतु आत्मनिर्भर रही है | अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं ये स्वयं उपजा या बना लेते थे | उसी का एक स्वरूप है थारु समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला हस्तशिल्प |

थारु क्षेत्र के गाँवों में पुरुष एवं महिलाएं छोटी बड़ी डलिया का निर्माण प्रमुखता से करते हैं | डलिया को थारु 'ढकिया' या डेलवा कहते हैं | यह डलिया विभिन्न रंगों और डिजायनों में बनाई जाती है | ग्रामीण परिवार की महिलाएं इन डलियों को बनाने में अत्यन्त निपुण होती हैं | इन डलियों का निर्माण भरा नामक जंगली घास से निकली एक विशिष्ट प्रकार की छाल से किया जाता है | जिसे वे मूँज, कस्सूंगा कहते हैं | यह जंगली घास यहाँ के गाँवों में आसानी से उपलब्ध है | इसे बरसात के बाद काटकर थारु परिवार रखा लेते हैं और जाड़े में धुप में बैठकर बनाते हैं | सर्वप्रथम बरुआ की छाल की गोलाकार (रस्सी की आकृति के समतुल्य) बत्तियाँ बनाई जाती हैं | अब इन बत्तियों पर विभिन्न प्रकार के रंग लगाए जाते हैं | ये रंग विशिष्ट प्रकार के होते हैं तथा इनको गर्म पानी में घोलकर तैयार किया जाता है, ताकि यह पकने बने रहें | रंग सूख जाने के उपरान्त विभिन्न रंगों की बत्तियों को एक-दूसरे के ऊपर गोलाकृति में व्यवस्थित करके छेदना की सहायता से डलिया का आकार दिया जाता है | डलिया निर्मित हो जाने के उपरान्त कई बार डलिया के किनारों पर रंगे-बिरंगे कपड़ों की झल्लरें लगाई जाती हैं | प्रायः इन झल्लरों पर काँच के छोटे-छोटे टुकड़ों से भी सजावट की जाती है | इस प्रकार निर्मित डलिया देखने में अत्यन्त मोहक प्रतीत होती हैं | यह डलिया वजन में हल्की तथा बहु उपयोगी होती है |

पूजा तथा भोजन के दौरान बैठने के लिए आसन के रूप में प्रयुक्त 'चटाई' थारु ग्रामीण कला का एक मुख्य अंग है | ग्रामीण परिवार की लड़कियाँ तथा महिलाएं चटाई बनाने में विशेष रूप से दक्ष होती हैं | इनको बनाने में भी 'भर्रा' नामक जंगली घास से प्राप्त बरुआ की छाल प्रयुक्त होती है | डलिया निर्माण की भाँति चटाई को बनाने में भी सर्वप्रथम बरुआ की छाल की गोलाकार लम्बी बत्ती बनाई जाती है | अब इन बत्तियों पर गर्म पानी में पृथक-पृथक घोलकर तैयार किए गए विभिन्न रंग लगाए जाते हैं | रंग सूख जाने के उपरान्त उस बत्तियों को चक्राकार घुमाते हुए तथा बत्ती की परतों को आपस में संयुक्त करते हुए चटाई

को अन्तिम रूप दिया जाता है। चटाई को आवश्यकता के अनुरूप किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। ये चटाई अत्यन्त हल्का तथा आरामदायक होता है। इसकी खूबसूरती के कारण लोग इसे अपने घरों में सजावट के लिए भी प्रयुक्त करते हैं।

अलग अलग समुदाय की महिलाओं के लहंगे भी अलग प्रकार के बनते हैं। राना परिवार का लहंगा अलग किस्म का जबकि कठेरिया और चौधरी परिवार का लहंगा अलग किस्म का। अपने लहंगे थारू महिलाएं अपने हाथों से सिल कर तैयार करती हैं जिसे ये विशेष अवसरों पर पहनती हैं।

वस्तुतः यह सभी हस्तशिल्प थारू परिवार अपनी बेटियों के विवाह में उपहार स्वरूप देने के लिए बनाते हैं। जो बाद में गृह उपयोगी होने के कारण घरों में प्रयुक्त होने लगते हैं। जिन परिवार के लोगों को स्वयं ये सामान बनाना नहीं आता है तो आपसदारी में कोई अन्य परिवार उसकी बेटे के लिए विभिन्न वस्तुएं बना देता है।

बेला परसुआ, चन्दन चौकी, सौनहा के जनजातीय परिवारों से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि—थारू महिलाओं को अपना पारंपरिक ज्ञान तो पहले से ही था, वो तमाम हैंडीक्राफ्ट पहले से बनाती थीं लेकिन ओडीओपी योजना के तहत इन महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली सामग्री कैसी होती है इसकी ट्रेनिंग दी गई। उनको कुछ नए डिजाइन बताए गए और कुछ सरल तरीके भी बताये गए, जिससे अब इन महिलाओं को काम करने में आसानी भी हो रही है। इस काम में उन्हें मजा भी आने लगा है। अब यह कम समय में ज्यादा काम करने लगी हैं और ज्यादा उत्पाद भी बनाने लगी हैं। जो हाथ पहले सिर्फ डलवे-डलिया बनाते थे, अब लॉन्ग्री बास्केट बनाने लगे हैं। पूजा बास्केट, गिफ्ट बास्केट, डिजायनर लेडीज पर्स, टोपी जूट



चप्पलें इत्यादि | इन उत्पादों की बड़े शहरों से डिमांड भी आने लगी है। देश में लगने वाले महोत्सवों में इन उत्पादों को अलग पहचान मिल रही है। चन्दन चौकी में सरकारी परियोजना द्वारा केंद्र संचालित हो रहे हैं जहाँ थारू उत्पाद मिलते हैं |

यह डलिया जिसे थारू ढकिया या डैलवा कहते हैं



राना परिवार का लहंगा पहने राणा समुदाय की बालाएं , ये लहंगे ये स्वयं अपने हाथ से बनाती हैं | राणा लहंगे की लम्बाई अधिक होती है |



चौधरी लंहगा पहने थारू जनजाति की चौधरी बालाएं | चौधरी लंहगे कि लम्बाई कम होती है | दोनों प्रकार के लंहगे ये स्वयम अपने हाथों से निर्मित करते हैं |

सरकार द्वारा प्रशिक्षण के पश्चात् निर्मित वस्तुएं |



सरकारी प्रयास से कुछ सहायता समूह हेंडीक्राफ्ट के व्यवसाय से जुड़ रहे हैं किन्तु समुचित प्रचार प्रसार, अशिक्षा, ब्रांडिंग या व्यावसायिक समझ की कमी के कारण हेंडीक्राफ्ट बड़ा व्यावसायिक रूप नहीं ले सका है, न ही यह उनकी जीविका का साधन बन सका है।

निष्कर्ष-

उक्त अध्ययन से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। इन कलाओं से जुड़े ये हस्तशिल्पी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं हैं। ये सभी अपने जीवन यापन हेतु हस्तकलाओं के अतिरिक्त कोई न कोई अन्य कार्य अवश्य करते हैं। यद्यपि जनजातीय समूह के उन्नयन हेतु कुछ सरकारी प्रयास जारी हैं तथापि सरकारी सहायता के परिणाम अभी धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। अध्ययन के बाद यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आवश्यकता है जनजातीय संस्कृति को हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया जाय। उन्हें समुचित

प्रशिक्षण एवं समुचित टूलकिट उपलब्ध कराये जाय | उनकी ब्रांडिंग एवं ई मार्केट उपलब्ध कराने पर बल दिया जाय | इसके बिना थारू हस्तशिल्प के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण की राह कठिन है | आवश्यकता है कि इस समुदाय के सक्रिय व्यक्तियों से नीति-निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन में सलाह ली जाय | शिल्प व शिल्पकारों से जुड़ी भविष्य की परियोजनाओं में इस समूह के लोगों को सम्मिलित किया जाय | अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब थारू देशी हस्तकला इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा |

सन्दर्भ सूची-

1. मजूमदार , डी0 एन०, (1958) , रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ़ इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 1958.
2. मजूमदार डी एन, द थारुज एंड देयर ब्लड ग्रुप . जर्नल ऑफ़ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल , भाग – 8, नं- 1 .
3. जोशी, घनश्याम , उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक इतिहास, प्रकाश बुक डिपो , बरेली, 2003
4. प्रधान ,हरि देव, बर्थ कस्टम एमंग द थारुज बाई मैन इन इंडिया, 1932,
5. प्रधान ,हरि देव, सोसल इकॉनमी इन तराई (द थारुज), जर्नल ऑफ़ यूनाइटेड प्रोविन्सेज हिस्टोरिकल सोसाइटी - 10 , 1937
6. श्रीवास्तव,एस के , द थारुज : ए स्टडी इन कल्चर डायनामिक्स , आगरा यूनिवर्सिटी प्रेस , 1958 ,
7. गोविन्द,जे पी ,द थारू ऑफ़ तराई एंड भाबर ,इंडियन फोकलोर -2 ,1959.
8. वर्मा , सुभाष चन्द्र , शोध पत्र , द एको – फ्रेंडली थारू ट्राइब : ए स्टडी इन सोसिओ कल्चरल डायनामिक्स , जर्नल ऑफ़ एशिया पैसिफिक स्टडी, वाल.-1, नं-2, 177-187, 2010, .
9. चटर्जी, पी , सोशल एंड इकनोमिक स्टेटस ऑफ़ ट्राइबल वीमेन इन इंडिया: द चैलेंजेज एंड द रोड अहेड , इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ इंटर डिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज,2 (2) 55-60 ,2014
10. बोस,परमथनाथ, ए हिस्ट्री आफ हिन्दू सिविलाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल,पेज-254-257,वॉल्यूम-2,न्यू मैन एंड कंपनी,कलकत्ता ,1894.
11. नीता कुमार,द आर्टिजन ऑफ़ बनारस ,पापुलर कल्चर एंड आइडेंटिटी,पेज-25-33,1880-1986,नई दिल्ली,1988.
12. मुखर्जी, विश्वनाथ, बना रहे बनारस,1958.
13. मुखर्जी ,टी एन,आर्ट मैनुफैक्चरर ऑफ़ इंडिया,नई दिल्ली,नवरंग,1974.

14. मुखर्जी, मीरा, मेटल क्राफ्ट्समेन ऑफ़ इंडिया, कलकत्ता, एन्थ्रोपोलाजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, 1978.
15. दीक्षित, सूर्यप्रसाद, अवध संस्कृति विश्वकोश, वाणी प्रकाशन, 2016.
16. सिंह, नूतन, लखीमपुर खीरी की ऐतिहासिक धरोहर- विलोबी मेमोरियल, शोध-पत्र, जर्नल ऑफ़ एडवांस रिसर्च इन साइंस एंड सोशल साइंस. वॉल्यूम -02. इशू-02, 2019, पेज -205-211
17. यादव, मिलिंद कुमार एंड साहू, अजीत कुमार, एन एम्पेरिकल स्टडी, ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ़ ट्राइबल हाउसहोल्ड इनकम : ए केस स्टडी ऑफ़ थारू ट्राइब इन इंडिया, हुमिनिटीज एंड सोशल साइंस स्टडीज, वॉल्यूम-8(1) पेज 102-211, दिसम्बर 2019.
18. Rizvi, Mohammed Arafat Hasan & Kidwai M. Shafey, Education Employment and Quality of Life among undergraduates of the indigenous Tharu tribe in Tarai region of Lakhimpur Kheri District, Anthropological Bulletin, 9(2), 97-107, 2017.
19. Ministry of Tribal affairs (2017-18), Annual Report, Government of India.
20. साकात्कार-थारू छात्र-छात्रा, युवराजदत्त महाविद्यालय लखीमपुर खीरी.
21. www.jagaran.com
22. hindi.oneindia.com, 11 nov, 2012
23. prarang.in, 30.09.2019